

उत्तराखण्ड शासन
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग-02
देहरादून: दिनांक 02 मई, 2022
अधिसूचना

उत्तराखण्ड राज्य में स्थित बांधों की सुरक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा अधिसूचित Dam Safety Act, 2021 की धारा-11 में निहित प्राविधान के अन्तर्गत राज्य में State Committee on Dam Safety (SCDS) का गठन निम्नानुसार किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते हैं:-

1	अध्यक्ष (Chairperson Ex officio)	प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2	सदस्य	- मुख्य अभियन्ता, स्तर-I, परिकल्प एवं निदेशक, सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रुड़की। - मुख्य अभियन्ता, स्तर-II, सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड देहरादून। - प्रबंध निदेशक, यू0पी0डी0सी0सी0 द्वारा नामित महाप्रबंधक (सिविल)। - प्रबंध निदेशक, यू0जे0वी0एन0एल0 द्वारा नामित महाप्रबंधक (सिविल)।
3	अन्य सदस्य	- प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नामित मुख्य अभियन्ता (सिविल)। - प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, हरियाणा द्वारा नामित मुख्य अभियन्ता (सिविल)।
	1. डाऊन स्ट्रीम राज्य के सदस्य के रूप में	
	2. अपस्ट्रीम राज्य (हिमाचल) के सदस्य के रूप में	प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा नामित मुख्य अभियन्ता (सिविल)।
4	जल विज्ञान (Hydrology) एवं डैम डिजाइन हेतु तकनीकी विशेषज्ञ	- Sh. N.K. Samadhiya, Professor, IIT, Roorkee narendra.samadhiya@ce.iitr.ac.in - Shri B.K. Yadav, Professor, IIT, Roorkee brijesh.yadav@hy.iitr.ac.in
5	अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा नामित प्रतिनिधि सदस्य (निदेशक के स्तर से निम्न नहीं)	
6	अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा नामित प्रतिनिधि सदस्य (निदेशक के स्तर से निम्न नहीं)	

उपरोक्तानुसार गठित समिति, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित Dam Safety Act, 2021 में निहित प्राविधानों के अनुसार समयबद्ध रूप से कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।

Signed by Hari Chandra Semwal

Date: 29-04-2022 20:47:36

(हरिचन्द्र सेमवाल)

सचिव।

क्रमशः.....2

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार को उनके पत्र संख्या N-52011/1/2021-BM दिनांक 01 फरवरी, 2022 के संदर्भ में।
2. अध्यक्ष एवं समस्त सदस्यगण, State Committee on Dam Safety (SCDS)।
3. अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग, जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार, द्वितीय तल (दक्षिण), सेवा भवन, आर0के0पुरम, सेक्टर-1, नई दिल्ली 110066 को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त समिति हेतु सदस्य नामित करने का कष्ट करें।
4. अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, सेवा भवन, आर0के0पुरम, सेक्टर 1 नई दिल्ली 110066 को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त समिति हेतु सदस्य नामित करने का कष्ट करें।
5. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग को इस आशय से प्रेषित कि कृपया समिति के समस्त सदस्यगणों को अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by Jai Lal Sharma

Date: 02-05-2022 13:59:18

(जे0एल0शर्मा)

संयुक्त सचिव।